आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य तथा
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ. अ. सं. 272/ इंदौर /2019
निर्धारण वर्ष : 2014-15

श्री सलीम परवेज प्रो. नेशनल सॉ मिल्स, भोपाल	बनाम	प्रधान आयकर आयुक्त-2, भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एसीवाईपीएस 8006 एल		

अपीलार्थी की ओर से	लिखित आवेदन
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री एस.बी.प्रसाद, आयकर आयुक्त
सुनवाई तिथि	16.07.2020
उद्घघोषणा तिथि	16.07.2020

आदेश

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान प्रधान आयकर आयुक्त-2, भोपाल के आदेश दिनांक 14.01.2019 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधार पर दाखिल की गई है ।

2. निर्धारिती द्वारा इस अपील के संबंध में अधिकरण के समक्ष आवेदन दिनांक 15.07.2020 दाखिल किया है जिसमें निर्धारिती द्वारा आवेदन में उल्लिखित कारणों से उक्त अपील वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है । सुनवाई के

दौरान विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निर्धारिती के अनुरोध का विरोध नहीं किया है । अतः हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 16.07.2020 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(कुल भारत)	(मनीष बोरड)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 16.07.2020

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल